



ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)

(Regd No. S/2999 of 1966-67)

10, APMA BHAWAN, 1ST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Phone : 23967505, 23948000,

E-mail : <mailto:apma1965@yahoo.in>

Website : <http://www.apma.in>

VISHNU BHARGAVA

PRESIDENT

Mobile : 9811139614

VINAY NARANG

Hony. General Secretary

Mobile : 9810193816

UMESH SETH

Hony. Treasurer

Mobile : 9999007000

सरकूलर नं०: अपमा / 2018–2020 / 195

दिनांक : 8–6–2020.

प्रिय व्यापारी बन्धुओं,

यह मानवता इतिहास की सबसे कठिन घड़ी है जिसमें कोरोना नामक महामारी से हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और इसी के तहत में दो महीने का केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा लॉकडाउन रहा और हम सब लोगों को 19 मई से ऑड-ईवन के हिसाब से दुकानें खोलने की अनुमति मिली, कुछ समय तो यह चला और 1 जून से आनलॉक के हिसाब से हमें सभी दुकानें खोलने की अनुमति मिली। परन्तु हमारे कुछ सदस्यों ने लॉकडाउन, ऑड-ईवन का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया।

दोस्तों, जबकि 1 जून से देश की सभी मार्किट खुल गई है इसकी के तहत हमारी कश्मीरी गेट की मार्किट भी खुली हैं। कश्मीरी गेट की विमिन्न मार्किटों में संक्रमण के कुछ केस हमारी नजरों में आ रहे हैं। यद्यपि केन्द्र सरकार ने हमें पूर्ण रूप से मार्किट खोलने की अनुमति दी हुई है। परन्तु यह संक्रमण कहीं एक विकराल रूप ना धारण कर लें। इसके लिए अपमा की समस्त कार्यकारिणी एकजुट होकर निर्णय लिया कि हम लोग ऑड-ईवन का दुवारा पालन करें, क्योंकि वो स्थिति उत्पन्न पैदा ना हो जाए कि जिसके अन्दर बाजारों को पूर्ण रूप से बन्द करना पड़ जाए। आज अगर हम ऑड-ईवन का सख्ती से पालन कर लेंगे तो शायद हमारे व्यापार लम्बे समय तक चलेंगे और जो एक संतुलन बनाकर रखना है, जान है तो जहान है, के बीच में, वो दोनों हम शायद कायम कर सकें। दोस्तों, यह त्याग की घड़ी है। हमें बड़े स्वार्थ का ध्यान ना करते हुए छोटे स्वार्थ से ही एक लम्बे समय तक अपने व्यवसाय और जीवन दोनों को सुरक्षित रखने की पहल करनी है। ऑड-ईवन का वैसे ही पालन करेंगे, जैसे कि सरकार द्वारा तिथि के हिसाब से दुकानें के खोलने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि अगर आज ऑड तिथि है तो ऑड की दुकानें खुलेंगी और अगर ईवन तिथि है तो ईवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। इसमें हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपकी संस्था 'अपमा' द्वारा हर जगह पर हरे रंग और पीले रंग अंकित भी किये जाएंगे ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो सकें कि किस दिन कौनसी दुकान खलेगी और कौनसी बन्द रहेगी। ऑड वालों पर हरा रंग और ईवन पर पीले रंग अंकित किये जाएंगे। ये दोनों रंग अपमा द्वारा किये जाएंगे। जब-तक अपमा द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तब-तक आपसे निवेदन है कि आप अपनी दुकानों के नम्बरों के हिसाब से ही खोलें। दुकानों के नम्बरों के हिसाब से ही रंग अंकित किये जाएंगे। कुछ जगहों पर जहां दुकानों में स्थिति स्पष्ट नहीं है, वहां पर यह अंकित रंग निर्णायिक होंगे।

दोस्तों, बाजार पूरे छः(6) दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक खुलेगा और साप्ताहिक अवकाश रविवार के दिन बन्द रहेगा। (यानि कि ऑड-ईवन के तहत एक दिन एक दुकान और दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी। आप अपनी दुकान के अंतिम नंबर और डेट के हिसाब से ही अपनी-अपनी दुकानें खोलें। ऑफिस और गोदाम सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नियमित खुलेंगे। जिन व्यापारी भाईयों की उम्र 65 वर्ष से ऊपर है, कृपया वह मार्किट में ना आए और जिनकी दुकान खोलने का नम्बर/वार भी हो और उनको यदि आवश्यक काम ना हो, तो कृपया दुकान पर ना आए।

साथियों, इसका हमें पूर्ण रूप से ईमानदारी से और एक दृढ़ निश्चित से इसका पालन करना होगा जहां पर लगे कि इसका उल्लंघन किया जा रहा है कि यदि कोई भी पड़ोसी इसका उल्लंघन कर रहा है तो आप अपनी रक्षा के लिए सब पड़ोसी इकट्ठा होकर उससे हाथ जोड़कर उससे कहें कि तुरन्त अपनी दुकान बन्द कर लें। जब तक हम पूर्ण रूप से जागरूक नहीं रहेंगे, जब तक इसके प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, तब तक हम कोरोना संकट महामारी से नहीं लड़ पायेंगे तो उस स्थिति तक पहुँच जाएंगे, जब बाजारों को पूर्ण रूप से बन्द करने की आवश्यकता पड़ेगी और हमें यह पता नहीं होगा कि बाजार कितने दिनों, हफ्तों और कितने महीनों तक बन्द रहेंगे। इसलिए आपकी समस्त अपमा कार्यकारिणों एकजुट होकर आपसे बार-बार विनतो करती है कि कृपया करके ऐसी स्थिति को उत्पन्न ना होने दें। आपकी समस्त कार्यकारिणी इसमें एक मत रखती है और आप सभी व्यापारी भाईयों से अनुरोध करती है कि कृपया करके इन समाधानों को करने की कोशिश करें। इसके लिए संक्रमण के बचाव हेतु सामाजिक दूरी बनाये रखें, मास्क पहनें, हाथों को सेनिटाइज करें। दोस्तों, आप सभी को सरकूलरों के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं कि आपकी संस्था "अपमा" की पूर्ण टोम प्रतिदिन मार्किट में सैनिटाइज का छिड़काव कर रही है और मार्किट में हर रोज थर्मामीटर से व्यक्तियों का शरीर का तापमान चैक किया जा रहा है और यदि किसी व्यक्ति में संदेह होता है तो उसको वापिस भेज रहे हैं। यद्यपि दिल्ली के समस्त बाजार खुल गये हैं परन्तु फिर भी हमें यह देखते हुए कि दिल्ली-6 के जो बाजार हैं जोकि होल-सेल मंडिया हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे एरिया में दुकानें हैं और काफी गलियों में तो प्रर्याप्त भी जगह नहीं है। यहां पर संक्रमण की ज्यादा संभावना बनती है तो इसका ध्यान रखते हुए हम आपको निम्न उपायों के बारे में जानकारी दें रहें हैं : – आप अपने हाथों को कुछ समय अंतराल के बाद साबुन से धोये या SANITIZE करते रहें। अपनी आँख, नाक अथवा मुँह को ना छूएं। यदि किसी व्यक्ति को बुखार है या वह खांस या छींक रहा है तो उससे कम से कम 2 मीटर की दूरी बना कर रखें। जब भी आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो पहले उसके हाथ SANITIZE करें यदि सम्भव हो तो उस व्यक्ति के तापमान की भी जांच अवश्य करें। अपने आस-पास अनावश्यक चीजों को छूने से बचें। खांसते व छींकते समय रूमाल का प्रयोग अवश्य करें। यदि आपको खांसी अथवा जुकाम है तो अपने चेहरे को कवर करके रखें। कृप्या भीड़ में ना जाये व भीड़-भाड़ वाले स्थान जैसे होटल, मॉल आदि से दूरी बनाएं। अनावश्यक यात्रा से बचें। गंदगी ना फैलाये और सफाई का विशेष ध्यान रखें। नकदी लेन-देन के पश्चात् अपने हाथों को SANITIZE करें। पर्याप्त मात्रा में पानी/तरल पदार्थ पियें और पोषक आहार खाएं।

ठंडे व बासी खाने से बचे। संभव हो तो गरम पानी पीते रहें। नियमित रूप से कपड़ो को धोएं इस्तेमाल किए हुए नेपकिन, टिशू पेपर इत्यादि को कूड़ेदान में डालें। सड़क पर थूकना/कुल्ला करना कानूनन अपराध है। वाहन के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाबियों आदि इंटीरियर की कीटाणुशोधन के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल/स्प्रे किया जाना चाहिए। कार्यालय प्रबंधन को यह सलाह दी जाती है कि अपने बुजुग कर्मचारी, गर्भवती महिला कर्मचारियों को जहां भी संभव हो घर से कार्य करने की सुविधा प्रदान करें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को फेस कवर/मास्क/हाथों में दस्ताने का उपयोग अनिवार्य है। कार्यालय परिसर में अंदर हर समय फेस कवर/मास्क/हाथों में दस्ताने का उपयोग का प्रयोग अवश्य करें।

बैठकें जहां तक संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ही करें। कार्यालय परिसर के बाहर और भीतर कम से कम 1 मीटर की दूरी सामजिक दूरी बनाये रखें। अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कार्यालय में प्रवेश और निकास अलग—अलग होने चाहिए। वॉशरूम में हैंड सैनिटाइजर, साबुन और बहते पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। परिसर में भीतर लगातार स्वच्छता को लैवेटरी, पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। लंच के समय आप किसी भी व्यक्ति/ग्राहक को अपनी दुकान के अन्दर ना आने दें और ना ही उस समय पैसे का लेन—देन करें, क्योंकि भोजन करते समय पैसे को छूने से भी कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु दुकान के बाहर एक रस्सी बांध लें और बाहर से ही ग्राहकों को सामान व पैसों का लेन—देन करें और हाथों में दस्ताने अवश्य पहनें।

दोस्तों, आपकी अपमा की समस्त कार्यकारिणी एकजुट होकर फिर एक बार पुनः आप से अनुरोध करती है कि आप अपनी संस्था को अपने प्रेम व सहयोग देते हुए, आप अपने आपसे, अपने पड़ोसी से, अपने व्यापार आर अपने शहर से उपरोक्त सभी का पालन करते हुए सहयोग करें।

| (विष्णु भार्गव) प्रधान | (आर.के. गुप्ता) निवर्तमान |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| (जितेन्द्र बजाज(रिनको) उप प्रधान | (ए. एस. नैय्यर) उप प्रधान |
| (कैलाश चन्द्र(जेडी) उप प्रधान | (राकेश कुमार) सचिव |
| (उमेश सेठ) कोषाध्यक्ष | (विनय नारंग) महासचिव |